न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बूंदी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— **डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. नंबर :— **Cri.Reg.Case/210/2024**
सी एन आर नंबर :— **RJBD080005622024**

निर्णय दिनांकः—24.03.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 343/2023 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**गोविन्द उर्फ मोनू** पुत्र महावीर, निवासी बुढिया, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बूंदी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री जनकराज मीणा, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	31.10.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	31.10.2023
आरोप पत्र की तिथि	14.05.2024
आरोप के विरचना की तिथि	06.02.2025
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	21.02.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	24.03.2026
निर्णय की तिथि	24.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	24.03.2026

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनाक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	गोविन्द उर्फ मोनू	31.10.2023	03.11.2023	4/25 आयुध अधिनियम, 1959	दण्डादेश	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 व 5 का लाभ	04 दिवस

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	गजराज सिंह	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—2	रामभजन	मालखाना साक्षी
अ.सा.—3	परशराम	अनुसंधानकर्ता
अ.सा.—4	अमित सिंह	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—5	मुकेश	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी एवं नक्शा मौका साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी —1	—	—

(ग) न्यायालय साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी—1	—	—

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	फर्द चैकिंग एवं जब्ती
3.	प्र.पी.—2	चाक एफआईआर
4.	प्र.पी.—3	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
5.	प्र.पी.—4	नक्शा मौका घटनास्थल
6.	प्र.पी.—5	मालखाना रजिस्टर
7.	प्र.पी.—6	आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त
8	प्र.पी.—7	अधिसूचना

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	—	—

—:: निर्णय ::—

1. हस्तगत आपराधिक प्रकरण जप्ती अधिकारी श्री गजराज सिंह हैड कानि. द्वारा फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी—1 आरक्षी केन्द्र के.पाटन में पेश करने पर प्रारंभ हुआ। प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि दिनाक 31.10.2023 को श्री गजराज सिंह हैड कानि. 435 मय जाप्ता अमित कानि. 1004, मुकेश कानि. 1258 मय लैपटॉप प्रिन्टर मय अनुसंधान बॉक्स मय प्राईवेट वाहन के थाने से समय 12.58 पीएम पर रवाना होकर वास्ते करने अवैध कार्य चैकिंग एवं गश्त कस्बा के.पाटन, सुगर मिल चौराहा करता हुआ रही चढी रेल्वे फाटक के पास मेगा हाईवे पर पहुंचा, जहां पर मुखबीर खास ने इत्तिला दी कि एक व्यक्ति जिसने टी शर्ट व पायजामा पहन रखा है जो हाथ में एक लोहे की तेज धारदार छुरी लेकर रडी चडी रेल्वे फाटक के पास कच्चे रास्ते में खड़ा है जो कोई अप्रिय घटना कर सकता है। सूचना विश्वनीय होने से मुखबीर सूचना से हमराही जाप्ता को अवगत कराकर रवाना हो रडी चढी रेल्वे फाटक के पास कच्चे रास्ते पर पहुंचा, जहां पर बताये गये हुलिये का व्यक्ति पुलिस जाप्ता को बावर्दी देख कर भागने लगा, जिसको उसने हमराही जाप्ता की मदद से घेरा देकर पकडा तथा नाम पता पूछा तो पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम गोविन्द उर्फ मोनू पुत्र महावीर, निवासी बुढ़िया, थाना के. पाटन, जिला बून्दी होना बताया, जिसके हाथ में लोहे की तेज धारदार छुरी थी, जिसकी तलाशी की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह बुलाने हेतु अमित कानि 1004 को मौखिक आदेश देकर भेजा, जिसने 10 मिनट बाद वापस आकर बताया कि कानूनी पेचीदगी व आपसी रंजिश होने से कोई भी व्यक्ति व राहगीर गवाह बनने को तैयार नहीं है। उसके द्वारा भी राहगीरो को गवाह बनने हेतु कहा गया तो कोई गवाह बनने को तैयार नहीं है। जिस पर हमराही जाप्ता में से अमित कानि. 1004 व मुकेश कानि. 1258 को स्वतंत्र गवाह मामूर कर रोके हुये व्यक्ति गोविन्द उर्फ मोनू की तलाशी ली गई तो गोविन्द उर्फ मोनू के दांये हाथ में एक लोहे की धारदार छुरी मिली जिसका नाप किया तो छुरी के तेज धारदर फल की लम्बाई 26 से.मी हत्थे की लम्बाई 14 से.मी तथा कुल लम्बाई 37 से.मी है, छुरी घुमाव लिये हुए है। छुरी के हत्थे मे तीन छेद तथा फल में एक छेद है। उक्त छुरी सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार 10.06 सेमी से अधिक लम्बाई की तेज धारदार फल की है। गोविन्द उर्फ मोनू से 10.06 सेमी से अधिक तेज धारदार फल वाली छुरी रखने बाबत अनुज्ञा पत्र मांगा तो गोविन्द उर्फ मोनू ने अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया, जिससे बिना लाईसेंस के इतनी लम्बाई की धारदार छुरी अपने कब्जे मे रखना जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से गोविन्द उर्फ मोनू के कब्जे से मिली अवैध धारदार छुरी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर बतौर वजह

सबूत जप्त कर मार्क ए दिया जाकर कब्जे पुलिस लिया गया। मुलजिम गोविन्द उर्फ मोनू को जर्ये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। वापसी थाना पर प्रकरण संख्या 343/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसधान शुरु किया गया। मुलजिम गोविन्द उर्फ मोनू को जर्ये फर्द गिरफ्तारी के पृथक से गिरफ्तार किया जाकर हिरासत पुलिस लिया गया.....इत्यादि ।

2. उक्त तथ्यों के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में एफ.आई.आर. संख्या—343/2023 दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम 1959 (आगे अधिनियम 1959 से विनिर्दिष्ट किया जायेगा) में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.02.2021 को पेश किया गया।

3. अभियुक्त अधिवक्ता को आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति उपलब्ध करवाई गई और अभियुक्त पर पत्रावली में उपलब्ध सामग्री के आधार पर धारा 4/25 अधिनियम 1959 में प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाये जाने से अपराध अंतर्गत धारा 4/25 अधिनियम 1959 का प्रसंज्ञान लिया गया और प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस आरोप सुनी जाकर पत्रावली पर संलग्न गवाहान के बयान, फर्द जप्ती, कार्यवाही इत्यादि के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या अपराध अंतर्गत धारा 4/25 अधिनियम 1959 में बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 05 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श पी—1 से प्रदर्श पी—7 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा किये गये कथन को गलत होना जाहिर किया है। साथ ही यह भी कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः आरोपित अपराध में अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

7. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। पुलिस द्वारा मात्र टारगेट पूरा करने के

लिए मुकदमा बनाया गया है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं करवाये गये है। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्दों में एफआईआर नंबर अंकित नहीं होने से अभियोजन कहानी संदिग्ध है। गवाहान् के बयानों में विरोधाभास है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8. सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु पर विवेचन किया जाना है—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.10.2023 को समय 01.30 पी.एम. या उसके लगभग स्थान रडी चढी रेल्वे फाटक के पास, के.पाटन में अपने चेतनशील आधिपत्य में एक धारदार लोहे की छुरी, जिसके धारदार फल की लम्बाई 26 सेमी थी, जिसको रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था ?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिए उचित दंड क्या होगा?

9. उक्त विचारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किये जाने का भार अभियोजन पक्ष पर है। सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू—1 गजराज सिंह, जो कि प्रकरण का जब्ती अधिकारी है, के बयानों का अवलोकन किया गया। उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि वह दिनांक 31.10.2023 को थाना के.पाटन में हेड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह मय जाप्ता अमित कानि. व मुकेश कानि. के मय अनुसंधान बॉक्स के प्राईवेट वाहन से अवैध कार्यों की चेकींग हेतु थाने से समय 12:58 पीएम पर रवाना होकर गश्त करते हुए रेल्वे फाटक के पास मेगा हाईवे पर पहुंचे, जहां जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने टीशर्ट व पायजामा पहन रखा है जो हाथ में एक तेज धारदार लोहे की छुरी लेकर रडी—चडी रेल्वे फाटक के पास कच्चे रास्ते में खड़ा है, जो कोई घटना कारित कर सकता है। सूचना से जाप्ते को अवगत कराकर मय जाप्ता रवाना होकर सांकेतिक स्थान पर पहुंचा, जहां मुखबीर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति पुलिस जाप्ते को देखकर भागने लगा, जिसको उसने जाप्ते की मदद से घेरा देकर पकडा व नाम पता पूछा तो अपना नाम गोविंद उर्फ मोनू बताया, जिसके हाथ में तेज धारदार लोहे की छुरी थी, जिसकी तलाशी लेना आवश्यक होने से अमित कानि. को स्वतंत्र गवाह लाने के लिये मौखिक आदेश देकर भेजा, जिसने 10 मिनट बाद वापस आकर बताया कि कानूनी पेचिदगी व आपसी रंजिश के कारण कोई व्यक्ति गवाह बनने के लिये तैयार नहीं हुआ। जिस पर जाप्ते में से अमित कानि. व मुकेश कानि. को गवाह मामूर कर पकडे गये व्यक्ति गोविंद उर्फ मोनू की तलाशी ली तो उसके दांये हाथ में एक लोहे की तेज धारदार छुरी मिली जिसका नाप किया तो छुरी के धारदार फल की लंबाई 26 सेमी. व हत्थे की लंबाई 14 सेमी. कुल

लंबाई 37 सेमी. पायी गयीं। छुरी घुमावदार थी जिसके हत्थे में तीन छेद तथा फल में एक छेद था। गोविंद उर्फ मोनू से छुरी रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र मांगा तो नहीं होना बताया जिस पर गोविंद उर्फ मोनू का कृत्य धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध होने से उक्त छुरी को गोविंद उर्फ मोनू के कब्जे से जप्त कर एक कपडे की थेली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क ए अंकित किया। मुलजिम गोविंद उर्फ मोनू को धारा 41ए सीआरपीसी का नोटिस देकर चेक लिस्ट मुर्तिब की गयी व मुलजिम को गिरफतार कर मय माल मुलजिम थाने पर पहुंचकर जप्तशुदा माल मय फर्दात मय मुलजिम के आईसी थाना नंदसिंह एसआई के समक्ष पेश किया जिस पर नंदसिंह एसआई ने प्रक. रण संख्या 343/23 दर्ज कर अनुसंधान परसराम हेड कानि. को सुपुर्द किया। माल को जमा मालखाना करवाकर मुलजिम को बंद हवालात किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी—1 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम गोविंद के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है, ई से एफ कायमी मुकदमा अंकित है, जी से एच नंदसिंह एसआई के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर वह उनके अधीनस्थ कार्य करने से पहचानता है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी—3 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम गोविंद के हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका दिनांक 01.11.2023 को उसकी निशानदेही से परसराम हेड कानि. ने बनाया जो प्रदर्श पी—4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

10. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसेन स्वतंत्र गवाह लाने के लिए लिखित में कोई आदेश नहीं दिया। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जब्ती की कार्यवाही की कोई वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं की। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि जब्तशुदा छुरी कृषि या घरेलू काम में आने वाली हो। गवाह की जिरह में अभियुक्त के कब्जे से बिना लाइसेंसी अवैध छुरी बरामद होने बाबत् कोई विरोधाभासी तथ्य प्रकट नहीं आते हैं।

11. मौके के अन्य गवाहान् पी.डब्ल्यू—4 अमित सिंह तथा पी.डब्ल्यू—5 मुकेश द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में हस्तगत प्रकरण के जब्ती अधिकारी द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की ताईद की है तथा दोनों ही गवाहान् द्वारा अभियुक्त के कब्जे से बिना लाईसेंस की छुरी जिसके धारदार फल की लंबाई 26 सेमी थी को जब्त किया जाना दर्शाया है तथा दोनों ही गवाहान् द्वारा फर्द जब्ती प्रदर्श पी—1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी—3 तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी—4 पर स्वयं के हस्ताक्षर किया जाना दर्शाया है।

12. जिरह में दोनों ही गवाहान इस कथन को सही होना बताते हैं कि स्वतंत्र गवाह लाने हेतु उन्हें लिखित में कोई नोटिस नहीं दिया था। गवाहान इस कथन को सही होना बताते हैं कि अभियुक्त छुरी कहां से लाया था, इस

संबंध में हैड कानि. गजराज सिंह ने अभियुक्त से पूछा था, लेकिन अभियुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया।

13. अभियुक्त से बिना लाईसेंस की लोहे की छुरी जिसके फल की लंबाई 26 सेमी थी, की जब्ती के संबंध में उक्त दोनों ही गवाहान् के बयानों में कोई विरोधाभास प्रकट नहीं आता है।

14. गवाह पी.डब्ल्यू—2 रामभजन, जो कि मालखाना इंचार्ज था अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 31.10.2023 को थाना के.पाटन में एचएम मालखाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन गजराज सिंह हेड कानि. ने प्रकरण संख्या 343/2023 में जब्तशुदा एक लोहे की धारदार छुरी सफेद कपडे की थैली में सील्ड शुदा जमा मालखाना हेतु उसे दी थी, जिसको उसने असल मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 180/2023 दिनांक 31.10.2023 को इन्द्राज कर जमा मालखाना किया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी—5 है जिसकी सत्यापित प्रति प्रदर्श पी—5ए है।

15. उक्त गवाह से अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा कोई जिरह नहीं की गई है।

16. गवाह पी.डब्ल्यू—3 परशराम जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 31.10.2023 को थाना के.पाटन में हेड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना इंचार्ज नन्दसिंह एएसआई ने प्रकरण संख्या 343/2023 में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान उसे सुपुर्द किया था। दौराने अनुसंधान उसने दिनांक 01.11.2023 को घटनास्थल का नक्शा मौका गजराज कानि. की निशानदेही से बनाया जो प्रदर्श पी—4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाह गजराज सिंह, अमित कानि., मुकेश कानि. के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी—6 है। अधिसूचना की प्रति शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी—7 है। मालखाना रजिस्टर की प्रति शामिल पत्रावली की। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त गोविन्द उर्फ मोनू के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की जिनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

17. जिरह में गवाह कथन करता है कि अभियुक्त छुरी कहां से लाया था उसने अभियुक्त से पूछा था। जब्तशुदा छुरी बाजार में आसानी से मिलती है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसने स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लिए, क्योंकि कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ।

18. हस्तगत प्रकरण में जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू—1 गजराज सिंह तथा मौके के गवाहान् पी.डब्ल्यू—4 अमित सिंह व पी.डब्ल्यू—5 मुकेश द्वारा अपनी अटल

साक्ष्य से इस तथ्य को साबित किया है कि दिनांक 31.10.2023 को अभियुक्त के अनन्य चेतनशील कब्जे से बिना लाईसेंस की अवैध तेज धारदार छुरी जिसके धारदार फल की लंबाई 26 सेमी थी बरामद की थी। संबंधित फर्दों को उक्त गवाह अपनी अखण्डनीय साक्ष्य से पुष्ट करते हैं। मालखाना इंचार्ज के बयानों में मालखाना Intact रहने के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं आया है। जहां तक हस्तगत प्रकरण में स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये जाने का अभियुक्त अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाये गये हैं तो चूंकि मौके के गवाहान् द्वारा स्पष्ट रूप से अपने बयानों में यह तथ्य प्रकट किया है कि मौके पर कोई आम व्यक्ति स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार नहीं था। इस कारण से स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाये गये। दूसरी ओर जबकि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपनी अटल साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध मामले को साबित करने में सफल रहे है तो केवल स्वतंत्र साक्षी के प्रकरण में गवाह के रूप में पेश नहीं होने से अभियोजन के मामले को दूषित होना नहीं माना जा सकता है।

19. अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क कि मौके की कार्यवाही संबंधी फर्दों में एफआईआर नंबर का अंकन नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्यवाही अधिकारी गजराज सिंह हेड कानि. 435 द्वारा घटना की दिनांक को अभियुक्त के कब्जे से बिना लाइसेंसी 26 सेमी धारदार छुरी की बरामदगी, अभियुक्त की गिरफ्तारी व मौके की समस्त कार्यवाही की जाने के पश्चात्, फर्द जब्ती व चैकिंग प्रदर्श पी—1 के आधार पर संबंधित थाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ऐसी स्थिति में थाने पर पहुंचने से पूर्व एफआईआर नंबर उक्त फर्दों पर अंकित किया जाना संभव नहीं था। अतः अभियुक्त अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है, न ही उक्त तर्क से अभियुक्त पक्ष को कोई सहायता प्राप्त होती है।

20. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई संपूर्ण मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 31.10.2023 को समय 01.30 पी.एम. या उसके लगभग स्थान रडी चढी रेल्वे फाटक के पास, के.पाटन में अपने चेतनशील आधिपत्य में एक धारदार लोहे की छुरी, जिसके धारदार फल की लम्बाई 26 सेमी थी, जिसको रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

21. अतः **अभियुक्त गोविन्द उर्फ मोनू** पुत्र महावीर, निवासी बुढिया, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बूंदी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25

आयुध अधिनियम, 1959 में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया</u>

22. दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाकर सख्त से सख्त सजा दिये जाने का निवेदन किया गया।

23. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर आया कि अभियुक्त वर्ष 2024 से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है। हालांकि अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड पत्रावली में मौजूद है, परन्तु पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है और अभियुक्त द्वारा उसकी कोई पूर्व दोषसिद्धी नहीं होने तथा परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं लिए जाने बाबत् शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः अभियुक्त की आयु, अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर अभियुक्त को सजा से दंडित नहीं किया जाकर आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

24. अतः **अभियुक्त गोविन्द उर्फ मोनू** पुत्र महावीर, निवासी बुढिया, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बूंदी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर धारा—4 के तहत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 10,000/—रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका 06 माह की समयावधि के लिये, जो इस आशय हो कि उक्त अवधि में सदाचारी बना रहेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होकर दंड ग्रहण करेगा प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें एवं अभियोजन व्यय के रूप में धारा—5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त द्वारा 500/—रूपये (अक्षरे पांच सौ रूपए) जमा करा देवें तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

25. अभियुक्त को अंतर्गत धारा 437ए दं.प्र.सं. 1973 के तहत निर्णय की दिनांक से 6 माह की अवधि के भीतर अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में 10,000/— रूपये की

जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश किए जाने के क्रम में उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

26. हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श पी—1 के अनुसार जब्त धारदार छुरी को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

27. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **24 मार्च, 2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी